(आदेश की प्रतिलिपि)

न्यायालय– श्रीमती लीना अग्रवाल, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर,

सत्र प्रकरण कमांक 241/2019
अपराध कमांक 250/2019
पुलिस थाना न्यू राजेन्द्र नगर,जिला–रायपुर

संजय यादव उम्र 23वर्ष,
पिता बीरू यादव,
साकिन सर्वोदय नगर, झण्डा चौक,
पचपेडी नाका, थाना न्यू राजेन्द्र नगर,
जिला–रायपुर(छ0ग0) ---आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

छ0ग0शासन,
द्वारा– पुलिस थाना न्यू राजेन्द्र नगर,
जिला– रायपुर (छ0ग0) ---अभियोजन

05/08/2020

आवेदक/अभियुक्त संजय यादव की ओर से श्री शब्बीर अली अधिवक्ता ने उपस्थित होकर इस सत्र प्रकरण में शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हुए साथ ही जमानत हेतु एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पेश किया, जमानत आवेदन की प्रति लोक अभियोजक को प्रदाय की गयी।

कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार न्यायालय का कामकाज आगामी आदेश तक स्थगित किये जाने के कारण आत्यावश्यक प्रकरण/जमानत आवेदनों की सुनवाई हेतु माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर के आदेश क्रमांक 953/कार्या./2020 रायपुर दिनांक 31/07/2020 के अनुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई आवेदन स्वीकार करते हुए यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं. प्र.सं. आज ही सुनवाई में लिया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक का तर्क श्रवण किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री शब्बीर अली अधिवक्ता द्वारा आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0स0 होने एवं इसके पूर्व कोई अन्य जमानत आवेदन पत्र माननीय सत्र न्यायालय,माननीय उच्च न्यायालय या समकक्ष न्यायालय के समक्ष लंबित व निराकृत नहीं होने का उल्लेख जमानत आवेदन में किया है, आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र के समर्थन में संतोष कुमार यादव का शपथ पत्र प्रस्तुत किया

गया है, तदनुसार यह आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.स. होना प्रथम दृष्टया दर्शित होता है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र एवं उस पर तर्क इस प्रकार है आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर,जिला रायपुर,छ0ग0 ने अपराध क्रमांक 250/2019 अंतर्गत धारा 302 भा0द0वि0 एवं धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आवेदक/अभियुक्त को दिनॉक 19/07/2019 को गिरफतार कर विवेचना पूर्ण कर चालान प्रस्तुत कर दिया गया है, जो उपार्पण पश्चात इस न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित है, आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है, जिससे उक्त अपराध बनता हो, अभिरक्षा में निरूद्ध रहने से उसके कोविड–19 महामारी में संक्रमण की चपेट में आने की संभावना है, उक्त महामारी के कारण न्यायालय के कार्य स्थगित होने के कारण विचारण में विलंब होने की संभावना है, आवेदक/अभियुक्त रायपुर का स्थाई निवासी है, उसके अन्यत्र फरार होने अथवा अभियोजन साक्षियों को प्रलोभित, प्रताडित या प्रभावित करने की संभावना नहीं है, वह आदेशित जमानत प्रस्तुत करने तथा आदेशित शर्तो का पालन करने हेतु तत्पर एवं तैयार है, इसलिये उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

अपर लोक अभियेाजक श्री विजय कुमार भोई ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुये तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0वि0 एवं 25,27 आयुध अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है। इसलिये अपराध की गंभीरता को देखते हुये आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ न दिया जावे।

अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनाँक 18/07/2019 को रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर से थाना टिकरापारा को इस आशय का अस्पताली मेमो प्राप्त होने पर कि मृतक जय कुमार साहू को जानलेवा हमले के बाद मृत अवस्था से लाया गया है, इस पर थाना टिकरापारा के द्वारा क्रमांक 00/76/19 अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना पंजी कायम कर प्रकरण का घटनास्थल न्यू राजेन्द्र नगर का होने से असल मर्ग कायमी हेतु थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर प्रेषित किये जाने पर थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर द्वारा असल मर्ग कायम कर जाँच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया, पी0एम0करवाया गया, विवेचना के दौरान मृतक के रिश्तेदार एवं अन्य गवाहों के कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध से पूछताछ किया गया तथा आवेदक/अभियुक्त के मेमोरेंडम कथन के आधार पर उसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू को जप्त किया गया तथा आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार कर, संपूर्ण विवेचना उपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 14/10/2019 को श्री ईशान व्यास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के समक्ष धारा 302 भा0दं0वि0 एवं 25,27 आर्म्स एक्ट

के तहत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि सत्र विचारण योग्य होने से उपार्पण पश्चात स्थानांतरण पर प्राप्त होकर इस न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु लंबित है।

आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध हत्या जैसे गंभीर प्रकृति का पंजीबद्ध होकर साक्ष्य की अवस्था में है, अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थिति एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, अतएव आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश क्रमांक 953/कार्या/2020 रायपुर दिनॉक 31/07/2020 के अनुपालन में आरोपी के अधिवक्ता को निःशुल्क दी जावे।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 04/09/2020

सही/–
(श्रीमति लीना अग्रवाल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)

<u>प्रतिलिपि</u> :–

अधिवक्ता वास्ते आवेदक/अभियुक्त को आदेशानुसार।

सही/–
(श्रीमती लीना अग्रवाल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर,छ0ग0